तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
04.08.17	वकील उभयपक्ष उप० बहस हेतु समय चाहा। पत्रा० वास्ते बहस दि० 23.08.17 को पेश हो।	
23.08.17	वकील उभयपक्ष उप० पत्रा० वास्ते बहस दि० 27.09.17 को पेश हो।	
27.09.17	वकील उभयपक्ष उप० पत्रा० वास्ते बहस दि० 30.10.17 को पेश हो।	
30.10.17	वकील उभयपक्ष उप० बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पक्षकारों के मध्य विवाद का अंतिम निर्णय तो दावा पत्रावली में विस्तृत साक्ष्य एवं विस्तृत विवेचन के उपरान्त ही संभव होगा किन्तु हमारी विनम्र राय में वाद की बहुलता न हो इसलिए उभयपक्षकारान को रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु एवं एक-दूसरे के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु तात्कालिक दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित होगा। अतः उक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को तात्कालिक दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि ख०नं० 293, 307, 308, 321 स्थित ग्राम मेडी के रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ ही पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। पत्रावली कैलाशकुमार होका नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)	